राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्याः- 1550/2023

डॉ. हेमलता राजोरिया

-अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय, जयपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी, जयपुर द्वितीय।

-प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.06.2023
आदेश की दिनांक : 15.06.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक

समक्षः- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थिया का स्थानांतरण खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फागी, जयपुर द्वितीय से जिला चिकित्सालय, हिण्डोन करौली कर दिया गया है। अपीलार्थिया ने उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए माननीय अधिकरण की पीठ जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 261/2022 डॉ. हेमलता राजोरिया बनाम प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान जयपुर व अन्य प्रस्तुत की। माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया द्वारी प्रस्तुत अपील में स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2022 को जारी कर अपीलार्थिया के स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.09.2022 पर रोक लगा दी गई। उक्त अपील वर्तमान में माननीय अधिकरण के समक्ष लम्बित है। अपीलार्थिया ने माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 20.09.2022 की पालना में दिनांक 23.09.2022 को कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फागी, जयपुर द्वितीय जयपुर में कार्यग्रहण कर लिया एवं अपीलार्थिया निरंतर माननीय अधिकरण के स्थगन आदेश की पालना में कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा

अधिकारी फागी, जयपुर द्वितीय जयपुर में कार्य कर रही है। अपीलार्थिया को अगस्त 2022 से आज दिवस तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थीगण के समक्ष दिनांक 05.01.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थिया माननीय अधिकरण द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश की पालना में वर्तमान पदस्थापित स्थान पर पदस्थापित है तथा अपीलार्थिया को अगस्त 2022 से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थिया द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी अपीलार्थिया का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है।

2. अपीलार्थिया द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।
3. इस अधिकरण के आदेश के आधार पर चिकित्सा अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फागी, जयपुर के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थिया को अगस्त, 2022 से वेतन का भुगतान नहीं किया जाना अपीलार्थीया ने कहा है। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी, जयपुर द्वितीय के द्वारा एक पत्र दिनांक 05.01.2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को प्रेषित कर दिशा-निर्देश चाहे हैं। इससे प्रकट होता है कि अपीलार्थिया को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। चूंकि अपीलार्थीया अधिकरण के आदेश की पालना में वर्तमान पद पर कार्यरत है, ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपीलार्थिया को वेतन का भुगतान करें। अपीलार्थिया को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना नियम विरूद्ध है।
4. अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपीलार्थीया को अगस्त, 2022 से बकाया वेतन का भुगतान करें।
5. अपील का निस्तारण ग्राह्यता के प्रक्रम पर अंतिम रूप से किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)